झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–30/2024– 1798 व०प०, राँची, दिनांक– 12/05/26

प्रेषक,

चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड,
मुख्यालय, हरमू चौक, राँची–834002

To upload on Parivesh

विषय :– **मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा–बगड़ू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/MIN/155456/2022) के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–136 दिनांक–17.02.2026 एवं पत्रांक–185 दिनांक–10.03.2026 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करनी होगी।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु नियमानुसार ससमय सभी कार्रवाई प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।

(iv) प्रस्तावित वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(v) वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक/नोडल पदाधिकारी/PSC-II द्वारा की गई अनुशंसा/स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(vi) CWLW द्वारा प्रस्तावित शर्त/शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(vii) FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(viii) F.C. Act, 1980 तथा इसके तहत् निर्गत दिशा–निदेशों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(ix) अन्य सामान्य, मानक एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
12/05/26
(चन्द्रशेखर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–30/2024– 1798 व०प०, राँची, दिनांक– 12/05/26

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/05/26
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–30/2024– 1798 व०प०, राँची, दिनांक– 12/05/26

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/महाप्रबंधक, हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, माईंस डिवीजन, कोर्ट रोड, लोहरदगा, झारखण्ड–835302 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/05/26
सरकार के उप सचिव।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Forest diversion proposal (19.56 ha including 2.17 ha of safety zone and 9.87 ha. of broken area and 7.52 ha unbroken area proposed to be diverted for mining purpose) for Bagru Bauxite in favour of M/s Hindalco Industries Ltd. under Latehar Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 19.56 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-.1798... dated-.12/05/.26

12/5/26

Chandra Shekhar Prasad.
Deputy Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

उप सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date: 12/05/26

Place: Ranchi

(21)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 185 दिनांक : 10/3/2026

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा– बगड़ू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक 136 दिनांक 17.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उक्त परियोजना पर मंतव्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के पत्रांक 300 दिनांक 27.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसमें निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

"प्रस्तावित स्थल बगड़ू, भुसाड़ एवं हिसरी संरक्षित क्षेत्र के अन्दर है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र कुल खनन् पट्टा क्षेत्र के भीतर पहले से खनन् किए गए क्षेत्र से सटा हुआ है, जिसका घनत्व लगभग 0.65 से 0.75 है। प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभ्यारण का हिस्सा नहीं है। इस क्षेत्र में तेंदुआ, लकड़बग्घा, खरगोश, साही, हिरण, भालू, सियार, किंग कोबरा, वाइपर, अजगर, कराईत एवं सांप जैसे वन्यप्राणी पाये जाते है।

अतः खनन् के कारण वन एवं वन्यप्राणियों पर होने वाले प्रतिकुल प्रभावों को कम करने के लिए Site Specific Wildlife Conservation and Management Plan का निर्माण तथा इसका क्रियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण के खर्च पर कराया जाना अपेक्षित होगा।"

अतएव, विषयक परियोजना का CWLW का मंतव्य इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0–यथोक्त।

सचिव कोषांग
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं0 1221
10 MAR 2026
झारखण्ड, राँची

विश्वासभाजन,

10/3/26

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

13/03/26

D:\Amit\PRIVATE\Hindalco Bagru 19-56 ha.docx

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

वन भवन, डोरण्डा, राँची

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

पत्रांक–921(WL)2024-25-300 राँची, दिनांक :– 27/02/2026

प्रेषक,

रवि रंजन, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड राँची।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय : **मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–बगड़ू, भुसाड एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग : **आपका कार्यालय ज्ञापांक 136 दिनांक 17.02.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विषयगत प्रस्ताव में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित मंतव्य के आलोक में अधोस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत् है :–

"प्रस्तावित स्थल बगड़ू, भुसाड एवं हिसरी संरक्षित क्षेत्र के अन्दर है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र कुल खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर पहले से खनन किए गए क्षेत्र से सटा हुआ है, जिसका घनत्व लगभग 0.65 से 0.75 है। प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। इस क्षेत्र में तेंदुआ, लकडबग्घा, खरगोश, साही हिरण, भालू, सियार, किंग कोबरा, वाइपर, अजगर, कराईत एवं सांप जैसे वन्यप्राणी पाये जाते है।

अतः खनन के कारण वन एवं वन्यप्राणियों पर होने वाले प्रतिकुल प्रभावों को कम करने के लिए Site Specific Wildlife Conservation and Management Plan का निर्माण तथा इसका क्रियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण के खर्च पर कराया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन

26/2/26

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

(68)

पत्रांक : 136 दिनांक, ~~राँची~~ : 17/2/2026

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा– बगड़ू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 69 दिनांक 28.01.2026

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा परिवेश 1.0 के माध्यम से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा–बगडू में बॉक्साईट खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0+2.17 हे0 सेफ्टीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तावित किया था। जिसका प्रस्ताव संख्या– FP/JH/MIN/155456/2022 है। उक्त ऑनलाईन प्रस्ताव को इस कार्यालय के पत्रांक 728 दिनांक 08.08.2024 के माध्यम से विभाग को अग्रसारित किया गया। विषयक प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–4048 दिनांक 16.10.2024 द्वारा तीन (3) बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए वांछित दस्तावेज/जानकारी ऑनलाईन अपलोड करने की मांग की गई।

उपरोक्त ऑनलाईन वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 60 दिनांक 16.01.2025 के माध्यम से विभाग को समर्पित किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–448 दिनांक 05.02.2025 द्वारा दो (2) बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए मंतव्य/प्रतिवेदन की मांग की गई।

उक्त पृच्छित बिन्दु यथा **" बिन्दु संख्या–(1) पूर्व खण्डित 9.87 हे0 वनभूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता अभिकरण को है अथवा नहीं। यदि हाँ, तो प्रयोक्ता अभिकरण को इसके अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त करने की बाध्यता है अथवा नहीं।**

बिन्दु संख्या–(2) पूर्व समर्पित 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के withdrowal की कार्रवाई की गई अथवा नहीं।

उक्त पृच्छा के क्रम में ऑनलाईन वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के रकबा में संशोधन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पत्र संख्या– 266 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके आलोक संबंधित लोहरदगा वन प्रमण्डल का पत्रांक 1035 दिनांक 08.09.2025 अनुरोध पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया। उक्त के क्रम वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के रकबा 19.56 हे में संशोधन किया गया है।

835
18 FEB 2026

67

पूर्व में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का रकबा :–

क्रमांक	वन प्रमण्डल का नाम	प्रस्तावित वनभूमि का रकबा	प्रस्तावित गैर–वनभूमि का रकबा
1.	लोहरदगा वन प्रमण्डल	9.69 हे0	65.72 हे0
	कुल –	**9.69 हे0**	**65.72 हे0**

वर्तमान में संशोधित वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का रकबा :–

क्रमांक	वन प्रमण्डल का नाम	प्रस्तावित वनभूमि का रकबा	प्रस्तावित गैर–वनभूमि का रकबा
1.	लोहरदगा वन प्रमण्डल	19.56 हे0	55.85 हे0
	कुल –	**19.56 हे0**	**55.85 हे0**

उपरोक्त विभागीय पत्रांक–448 दिनांक 05.02.2025 द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के प्रासंगिक पत्रांक 69 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत संशोधित रकबा– 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। साथ ही संशोधित वनभूमि की रकबा के अनुसार संशोधित ऑनलाईन प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

उक्त प्राप्त वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल–75.41 हे0 भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 19.56 हे0 वनभूमि एवं 55.85 हे0 गैर वनभूमि सन्निहित है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में Form-A Part-I में आवेदन online समर्पित किया गया है, जिसके संशोधित प्रति की Hard Copy संलग्न फोल्डर पर रक्षित है।
3. संशोधित प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि की रकबा एवं वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे0 में)	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा (हे0 में)	कुल रकबा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व	इको–क्लास
1	लोहरदगा	19.56	-	19.56	**14.59 ha** -65 **4.97 ha** -75	3
	कुल–	**19.56**	-	**19.56**		

4. ऑनलाईन प्रस्ताव में लोहरदगा वन प्रमंडल में प्रस्तावित वनभूमि (संशोधित) का Authenticated Land schedule संलग्न फोल्डर पर रक्षित है।
5. ऑनलाईन प्रस्ताव में संशोधित पार्ट–II में लोहरदगा वन प्रमंडल एवं Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला की अनुशंसा संलग्न है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल ने अपने Part-II कंडिका–11 के अनुसार वनभूमि पर FC Act, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
7. ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट–II की कंडिका–6 में लोहरदगा वन प्रमण्डल द्वारा अंकित किया गया है कि Area is prone to erosion because of moderate slope and less vegetation है।
8. ऑनलाईन प्रस्ताव में 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।

(66)

9. ऑनलाईन प्रस्ताव में मौजा मैप में अपयोनजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का आरेखन दिखाते हुए मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
10. ऑनलाईन प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि का Geo-referenced मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
11. ऑनलाईन प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाली वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। पार्ट–II के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में वृक्षों की गणना के अनुसार कुल संख्या–3719 प्रतिवेदित है।
12. ऑनलाईन प्रस्ताव में प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है।
13. ऑनलाईन प्रस्ताव में प्रस्ताव के साथ Environment Clearance to the project संलग्न है।
14. ऑनलाईन प्रस्ताव में Justification for locating the project in forest land संलग्न है।
15. ऑनलाईन प्रस्ताव में Letter of Intant संलग्न है।
16. ऑनलाईन प्रस्ताव में approval mining Plan संलग्न है।
17. ऑनलाईन प्रस्ताव में approval mining Plan संलग्न है।
18. ऑनलाईन प्रस्ताव में FRA, 2006 के तहत् उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र (ग्राम सभा की कार्यवाही के साथ) संलग्न है।
19. ऑनलाईन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता समर्पित है।
20. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीनों वन प्रमंडलों में कुल–19.56 हे0 अपयोजित होने वाली वनभूमि के के विरूद्ध समतुल्य कुल–21.14 हे0 गैर–वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	मौजा का नाम	थाना/थाना संख्या	नया (RS) खाता संख्या	प्लॉट संख्या	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा
1.	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	जुझार सिकनी	हुसैनाबाद/476	1 एवं 2	318 एवं 302, 304, 305, 308, 309	7.69 हे0
				2	173,174,228,229,232,233,234,264,308	7.6 हे0
					173,174,228,229,232,233,234,264,308	2.68 हे0
2.	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	सुरसांग	सुरसांग/51	80 एव 81	3877, 3770, 3771, 3772, 3773, 3775, 3776,3777, 3779	2.17 हे0
					कुल :–	20.14 हे0

क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का टोपोशीट, नक्शा, DGPS, KML File, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु योजना का प्राक्कलन संलग्न है।

21. ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित लोहरदगा वन प्रमंडल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है।
22. ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित लोहरदगा वन प्रमंडल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के अन्तर्गत अवस्थित नहीं है।
23. ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित लोहरदगा वन प्रमंडल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में वनस्पतियों एवं जीवों का दुर्लभ/लुप्तप्राय/अद्वितीय प्रजाति नहीं पाई जाती है।

(65)

24. इस परियोजना प्रस्ताव हेतु पूर्व में प्रस्तावित 9.69 हे0 वनभूमि का CWLW का मंतव्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 994 दिनांक 30.08.2024 द्वारा प्राप्त है। वर्तमान में संशोधित प्रस्ताव 19.56 हे0 वनभूमि का CWLW का मंतव्य अप्राप्त है। इस हेतु प्रस्ताव की एक प्रति के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची भेजी जा रही है। मतव्य प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

25. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा का अनुशंसा (Recommendation) अपलोड किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला से प्राप्त ऑनलाईन संशोधित प्रस्ताव की पार्ट–IV भरकर प्रस्ताव की तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

17/2/26

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

D:\Amit\PRIVATE\Hindalco Bagru 19-56 ha.docx